सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 270 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :—11.12.2024

1. सोना बाई पत्नी शंकर जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 12 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 793 खसरा संख्या 2694 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2695 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह कुल किता 3 कुल रकबा 1.1251 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला में स्थित है। जो प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया के खाते की भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह0 (कुंआ) की गलत तरमीम करते तरमीम कर्ताओं द्वारा त्रृटिवश प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह0 (कुआ) की तरमीम सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2697 पर कर दी गई है, तथा सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2697 की तरमीम गे0मु0चाह0 खसरा संख्या 2696 में कर दी गई है, तथा मौके व कब्जे के अनुसार तरमीम नहीं की गई है, प्रार्थीया अपनी भूमि की नकल निकलाने पर पता चला कि प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह(कुआ) की तरमीम सिवायचक भूमि पर कर दी गई, जो नक्शा देखने से ही प्रकट है, नक्शे की नकल संलग्न है। प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह(कुआ) की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करके मौके एवं कब्जे के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई तो भविष्य में प्रार्थीया के

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सामने भारी दिक्कत आ जायेगी एवं कुए की तरमीम सरकारी भूमि पर कर दिए जाने के कारण तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थीया के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थीया के खाते की भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह (कुआ) की, की गई तरमीम को निरस्त करने के लिए प्रार्थीया ने तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष मौखिक निवेदन किया परन्तु तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना दिनांक 25.11.2024 को तरमीम निरस्त करने से इन्कार कर दिया है, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थीया की भूमि खसरा सख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह(कुआ) की वास्तविक मौके एवं कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 गे0मु0चाह(कुआ) वाके ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की गई गलत तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :-राजस्व/25/1160 दिनांक 07.05.2025 अनुसार ग्राम हिण्डोली के खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2697 रकबा 0.4613 की डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना अन्तर्गत की गई तरमीमों के दौरान तत्कालीन पटवारी द्वारा संहवन से खसरा संख्या 2696 के स्थान पर 2697 व खसरा संख्या 2697 के स्थान पर 2696 का अंकन कर दिया है जो गलत है। पुराने नक्शा लठ्ठा में उक्त तरमीमों का मिलान किया। सही खसरा नम्बरों को संलग्न नक्शे में लाल स्याही से अंकन किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू-सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 2696 की तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। उक्त भूमि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 2696 की तरमीम खसरा नम्बर 2697 के स्थान पर व प्रार्थीया के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है एवं खसरा संख्या 2697 की तरमीम खसरा संख्या 2696 के स्थान पर की जानी है। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 793 के खसरा संख्या 2696 रकबा 0.0324 हैक्टैयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खाता संख्या 793 के खसरा संख्या 2696 की तरमीम प्रार्थीया के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 12.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

12/05/2025

(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446